GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan market, New Delhi-110 003.

Dated: 28.08.2012

No. SNK/1/2011/MFIN9/ATOTH/RU-IV

To

The Director General of Police
Govt. of Rajasthan,
Jaipur - (Raj)

Sub: Representation regarding action on the alleged person of suside by Shri Laxman Meena, Senior Officer, LIC of India.

Sir,

I am directed to refer to this Commission's letter of even number dated 13.06.2012 on the subject mentioned above and to enclose a copy of record note of the meeting held in the Commission on 27.06.2012 with the officials for taking necessary action.

Yours faithfully,

(K.D. Bhansor)Mrs.
Deputy Director

Copy to:-

1. Shri Narayan Kaimla, President, Raj Ahdivasi Meena Mahasabha, Ambika E-619, Lal Kotti yojana, Nai Vidhansabha ke pass, Jaipur-302015 (Raj).

2. Shri Ramji Lal Meena, 8-A, Gokul Vihar, Budhsinghpura, Shangoner, Jaipur - (Raj).

Copy to:-
1. SSA(NIC)

(K.D. Bhansor)Mrs.
Deputy Director

सं0 एसएनके/1/2011/एमएफआईएन9/एटीओटीएच/आर.यू.-IV

श्री लक्ष्मण मीणा, एलआईसी अधिकारी की आत्महत्या के मामले में अध्यक्ष महोदय ने एसपी, अजमेर को 27-06-2012 को 12.00 आयोग के समक्ष व्यक्तिगत तौर पर प्रकरण से संबंधित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होने का अनुरोध किया गया था। श्री राजेश मीणा, जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर की पत्र संख्या अपराध शाखा/2012/18443 दिनांक 26-06-2012 द्वारा श्री राममूर्ति जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अजमेर ग्रामीण, को आयोग की अनुपालना के अन्तर्गत मुकदमा सं0 304/2011 के अन्तर्गत धारा 306, 120बी आईपीसी व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट, थाना सिविल लाईन, अजमेर की तथ्यात्मक रिपोर्ट की पत्रावली से संबंधित तथ्य हेतु अधिकृत कर अध्यक्ष महोदय को अवगत कराने हेतु भेजा गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर ने अपनी अनुपस्थिति बारे सूचित किया कि जिले में उर्स का मेला चल रहा है जिसमें लाखों जायरीन आ रहे हैं। उक्त मेले में शांति व्यवस्था के संबंध में दिनांक 30-06-2012 तक यहाँ रूकना आवश्यक है। जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति भी कतिपय स्थानों में चल रही है तथा महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज, अजमेर अवकाश पर हैं जिनका रेंज का कार्य भी उनके पास है।

श्री राममूर्ति जोशी ने अध्यक्ष महोदय के समक्ष प्रस्तुत होकर मामले से संबंधित जानकारी पत्र क्रमांक 936 दिनांक 26-06-2012 प्रस्तुत किया तथा जानकारी दी। प्रकरण के सम्पूर्ण अनुसंधान सत्यापन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं बयानात गवाहान के विश्लेषण प्रकरण में आरोपी के.पी. चौधरी के विरूद्ध जुर्म धारा 306 ताहि. का जुर्म प्रमाणित पाया जाता है। श्री निलेश साठे, क्षेत्रीय प्रबंधक, एलआईसी, नई दिल्ली व अन्य किसी के विरूद्ध जुर्म धारा 306, 120बी ताहि. 3(3)(2)(5) एससी/एसटी एक्ट प्रमाणित नहीं पाया जाता है। पूर्व अनुसंधान अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक वृत-उत्तर नगर के अनुसंधान की आंशिक पुष्टि होती है। प्रकरण के संबंध में आरोपी श्री किरणपाल चौधरी द्वारा मान0 राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में दायर एसबी क्रिमी0मिस0 पिटीशन 1117/2012 किरणपाल चौधरी बनाम राज्य सरकार एवं एसबी क्रिमी0मिस0 पिटीशन 4010/2011 निलेश सांठे बनाम राज्य सरकार मान0 न्यायालय में विचाराधीन है जिनमें आगामी तारीख 22-07-2012 नियत है। प्रकरण के संबंध में मान0 न्यायालय द्वारा प्रकरण के संबंध में निर्देश प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही अमल में लायी जावेंगी।

पत्र सं0 प-1(44)सीबी/सीआरसी/परि./उच्चा./11/1914 दिनांक 25-06-2012 प्रकरण की फाईल उप महानिरीक्षक पुलिस (सिविल राईटस) सीआईडी (सीबी) राज0, जयपुर के पास थी तथा उन्होंने निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुसंधान पूर्ण करवाकर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट कार्यालय में भिजवाने को कहा है।

1. आरोपी के मोबाईल की दिनांक 25-01-2011 से 10-02-2012 तक की तथा मृतक के मोबाईल की आत्महत्या के 1 माह पूर्व तक की कॉल डिटेल निकलवाकर उनका विश्लेषण कर आवश्यक साक्ष्य जुटावे।
2. घटना के दिन (दिनांक 04-02-2011) एलआईसी के रेस्ट हाउस में जो अन्य एलआईसी के अधिकारी रूके थे, उनसे पूछताछ की जावे।

→ क्रमशः

3. आरोपी के.पी. चौधरी के साथियों से पूछताछ की जावे, जो घटना के दिन (दिनांक 04-02-2011) एलआईसी के रेस्ट हाउस में आये थे।

4. मृतक के मित्रों व जानकारों से इस घटना के बारे में विस्तृत अनुसंधान किया जावे कि मृतक ने उनको इस घटना के बारे में व उकसाने के बारे में क्या बताया था ?

5. मृतक के सुसाईड नोट को मध्यनजर रखते हुए मृतक को जारी स्पष्टीकरण पत्र व इस संबंध में जारी स्मरण पत्रों का घटनाक्रम के अनुसार परीक्षण किया जावे तथा साक्ष्य जुटाया जावे।

6. अनुसंधान के दौरान मोटिव भी स्पष्ट करें।

7. आरोपी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में दिये गये तथ्यों तथा उस द्वारा अनुसंधान के दौरान दी गयी एलीबी (alibi) का विस्तृत रूप से सत्यापन किया जावे।

अध्यक्ष महोदय ने प्रकरण में पाया और कहा कि -

(1) मामले में चालान पेश करने में देरी हो रही है।

(2) पुलिस को सलाह दी कि सीएमडी, एलआईसी को पुलिस द्वारा पत्र लिखा जाए कि वह श्री सांठे की गतिविधियों पर नजर रखें।

(3) उप महानिरीक्षक (सिविल राईटस) द्वारा सुझाये गये बिन्दुओं के अनुरूप चार्जशीट फाईल करने में विलम्ब करने का आशय नजर आता है जब कि पुलिस की निरीक्षण रिपोर्ट पूरी हो चुकी है

(4) पुलिस महानिदेशक द्वारा मामले को अपने स्तर पर देखा जाए।

08-8-2012
(एन0 बालासुब्रमणियन)
अनुसंधान अधिकारी

उप निदेशक

अध्यक्ष महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

8/8/2012

संयुक्त सचिव

अध्यक्ष महोदय